


12.08.2024:-पत्रावली पेशी में ली गई। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में कोई
कार्यवाही नहीं चाही जा रही है वादी व वादी
अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज
लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन
उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के
उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम
पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

